न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 67 / 2018 जिला दौसा

1. जगन्या पुत्र श्री जुगल्या
2. कैलाश दत्तक पुत्र जयनारायण
3. कमल पुत्र मोती
4. रामचरण पुत्र मोती

समस्त जाति मीना, निवासी ग्राम रेटा, तहसील सिकराय, जिला दौसा ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. मेवा पुत्र श्रीया उर्फ सरिया
2. कंचन पुत्र श्रीया उर्फ सरिया
3. अर्जुन पुत्र श्रीया उर्फ सरिया

   समस्त जाति मीना, निवास ग्राम रेटा, तहसील सिकराय, जिला दौसा ।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील दौसा ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार सिकराय, जिला दौसा दिनाक 25.7.2018

उपस्थित–
1. वकील अपीलान्ट श्री अशोक कुमार जोशी
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री बनवारी शर्मा

निर्णय

दिनांक 11.6.2019

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार सिकराय, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 25.7.2018 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्राम रेटा, तहसील सिकराय जिला दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 303/2 रक़बा 9 बीघा 17 बिस्वा के गैर खातेदार मेवा कंचन, अर्जुन पि. सरिया, जगन्या, जयनारायण, मोती , बद्री पि. जुगल्या मीना थे । उप खण्ड अधिकारी सिराराय, जिला दौसा के आदेश कमांक: राजस्व/2011/612 दिनांक 15.9.2011 की अनुपालना में नामांतरकरण संख्या 1122 पटवारी हल्का द्वारा मेवा, कंचन, अर्जुन पि. सरिया, जगन्या, जयनारायण, मोती , बद्री पि. जुगल्या मीना के नाम गैर खातदेारी से खातेदारी का भंरा गया जिसे तहसीलदार सिकराय द्वारा दिनांक 30.9.2011 को मेवा , कंचन, अर्जुन पि. सरिया हिस्सा 1/5 व शेष हिस्सा 4/5 के नाम स्वीकार किया गया ।

इसके बाद तहसीलदर सिकराय, जिला दौसा द्वारा दिनांक 17.10.2011 को नामांतरकरण संख्या 1122 की पुश्त पर पुनरावलोकन आदेश अंकित किया गया कि " ना.सं. 1113/5.9.11 (विरासत) एवं श्रीमान् उंप खण्ड अधिकारी महोदय के आदेश कमांक: राजस्व/2011/611 दिनांक 15.9.11 के अनुसार ना.सं. 1122 में

पारित निर्णय दिनांक 30.9.11 के स्थान पर मेवा, कंचन, अर्जुन पि. सरिया , जगन्या, जयनारायण, मोती, बद्री पि. जुगल्या जाति मीणा का खसरा नम्बर 303/2 रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा पर समान रूप से पूर्व रिकार्ड के अनुसार नामांतरकरण स्वीकार है । रिकार्ड में तद्नुसार खातेदारी का अमल करें ।"

तहसीलदार सिकराय के उक्त पुनरावलोकन नामांतरकरण संख्या 1122 दिनांक 17.10.2011 से व्यथित होकर जगन्या एवं अन्य द्वारा अपील उनवानी जगन्या व अन्य बनाम मेवा व अन्य न्यायालय अति. जिला कलक्टर दौसा के समक्ष प्रस्तुत की , जो अति. जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 5.10.2015 से तहसीलदार सिकराय द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 1122 दिनांक 30.9.2011 को तस्दीक करने से पूर्व पक्षकारान को सुनवाई सबूत का समुचित अवसर दिया जाना चाहिये था, तद्उपरान्त नामांतरकरण तस्दीक की कार्यवाही की जानी चाहिये थी , ऐसा नहीं कर तहसीलदार द्वारा कानूनी भूल किया जाना मानते हुये अपील अपीलान्ट्स स्वीकार किया जाना उचित होने से अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 1122 में तहसीलदार सिकराय द्वारा पारित पुनरावलोकन आदेश दिनांक 17.10.2011 ग्रम रेटा, तहसील सिकराय खारिज किया गया तथा प्रकरण तहसीलदार सिकराय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि पक्षकारान को सुनवाई सबूत का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अति. जिला कलक्टर दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 5.10.2015 की अनुपालना में तहसीलदार सिकराय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.7.2018 से अपीलान्ट्स को बार बार समय दिये जाने के उपरान्त भी उनकी ओर से बहस व साक्ष्य हेतु कोई उपस्थित नहीं होने से प्रतिपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनकर उप खण्ड अधिकारी सिकराय के आदेश दिनाक 13.9.2011 में गैर खातेदारी से खातेदारी बाबत आदेशित किया गया है । समभाग के लिये न्यायालय द्वारा यह आदेशित नहीं किया गया कि किस व्यक्ति का कितना हिस्सा दर्ज करना है और ना ही यह गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज करने का विषय है कि खातेदारी के नामांतरकरण में हिस्सा शुद्ध किया जावे । इस बाबत सक्षम न्यायालय से स्पष्ट आदेश होने चाहिये और हिस्सा दुरूस्ती हेतु अलग से वाद सक्षम न्यायालय में दर्ज कर आदेश देने चाहिऐ । नामांतरकरण पर दर्ज पुरावलोकन आदेश दिनांक 17.10.2011 ही हैं जिसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है । नामांतरकरण गैर खातेदारी से खातेदारी स्वीकार किया जाना उचित माना है एवं राजस्व रिकार्ड में हिस्से दर्ज करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करने के आदेश पारित किये हैं ।

तहसीलदार सिकराय के उक्त आदेश दिनांक 25.7.2018 से व्यक्ति होकर अपीलान्ट्स जगन्या वगैहरा द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश तहसीलदार सिकराय दिनांक 25.7.2018 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन कियां कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य भली भांति सिद्ध था कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 303/2 रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्रम रेंटा तहसील सिकराय जिला दौसा पॉचों व्यक्तियों को आवंटित हुई थी जिसमें सबका 1/5– 1/5 हिस्सा था । उनका कहना था कि 30.4.18 को अपीलान्ट्स द्वारा मृतक बद्री प्रसाद की फौतगी की सूचना दी थी एवं बद्री प्रसाद द्वारा की गई वसिंयत के अधार पर अपीलान्ट संख्या 2 से 4 उत्तराधिकारी होने के कारण बद्री का नाम हज्फ किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स के प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय नहीं किया एवं अपीलान्ट्स को बिना सुने अपीलाधीन निर्णय पारित कर पुनरावलोकन निर्णय दिनांक 17.10.2011 को यथावत रख दिया, जो कानूनी प्रकिया के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अति. जिला कलक्टर दौसा द्वारा तहसीलदार सिकराय को स्पष्ट आदेश दिया था कि पक्षकारान को विधिवत रूप से सुनवाई व सबूत का समुचित अवसर दिया जाकर विधि सम्मत निर्णय किया जावे , किन्तु तहसीलदार द्वारा अपीलीय न्यायालय के निर्देशों की पालना नहीं कर विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 3 द्वारा न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सिकराय के समक्ष एक वाद पेश किया था जो निर्णय दिनांक 9.6.2009 से खारिज हो गया था तथा इसकी अपील भी भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प दौसा द्वारा निर्णय दिनांक 12.5.2011 से खारिज करदी थी , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तथ्यों को भी नजरन्दाज करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्तनीय है । उनका कहना था कि तहसीलदार का पद रिक्त था तथा किसी को चार्ज भी दिया हुआ नहीं था फिर भी नायब तहसीलदार ने रेस्पोंडेन्ट्स से मिलकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विंधिसम्यक नहीं है । उनका कहना था कि यदि अपीलान्ट्स प्रकरण में उपस्थित नहीं थे तो सर्वप्रथम प्रकरण अदम हाजरी व अदम पैरवी में ही खारिज होना चाहिये था , लेकिन तहसीलदार नें गुणावगुणव पर निर्णय पारित करने में कानूनी त्रुटी की है । न्यायालय अति. जिला कलक्टर द्वारा पुनरावलोकन आदेश को निरस्त कर प्रकरण पुनः निर्णय हेतु तहसीलदार को प्रतिप्रेषित किया था , लेकिन तहसीलदार ने निरस्त किये गये पुनरावलोकन आदेश को ही बहाल रख कर अपीलीय न्यायालय के आदेश के विपरीत निर्णय पारित किया है, जो निरस्तनीय है । उनका कहना था कि विवादित भूमि पर कब्जा भी रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 3 का हिस्सा 1/5 पर ही है, लेकिन तहसीलदार ने इस तथ्य को भी नजरन्दाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्यक नहीं होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

पत्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के संबंध में उप खण्ड अधिकारी सिकराय के निर्णय दिनांक 15.9.2011 द्वारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1956 की शर्त संख्या 09 के तहत प्रार्थियान सरिया पुत्र ग्यारसा, जगन्या, जयनारायण, मोती , बद्री पि. जुगल्या जाति मीना को ग्रम रेटा में आराजी खसर नं. 303/2 रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा पर समान रूप से गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान करने के आदेश पारित कर तहसीलदार सिकराय को अमल दरामद कर पालना से अवगत कराने के निर्देश दिये गये थे । प्रकरण तहसीलदार सिकराय को न्यायालय अति. कलक्टर दौसा से रिमाण्ड होने पर तहसीलदार सिकरायम ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया एवं उभयपक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किया था । पक्षकार बद्री प्रसाद की फौतगी रिपोर्ट पर मृतक के वारिसान को पत्रावली पर लिया जाकर जरिये नोटिस तलब किया गया था, जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुये थे । उनका कहना था कि अपीलान्ट्स को बार बार समय दिये जाने के बावजूद भी उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुये । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये रेस्पोंडेन्ट के अधिवक्ता की बहस सुन कर अपीलाधीन निर्णय गुणावगुण पर पारित कर पुनरावलोकन आदेश दिनांक 17.10.2011 में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं होने से नामांतरकरण गैर खातेदारी से खातेदारी स्वीकार किया जाना उचित मानते हुये राजस्व रिकार्ड में हिस्से दर्ज करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करने के निर्देश दिये हैं। उनका कहना था कि तहसीलदार सिकराय ने प्रश्नगत नामांतरकरण पर पुनरावलोकन आदेश उप खण्ड अधिकारी के आदेश की पालना में पारित किया है ओर अपीलाधीन आदेश द्वारा पुनरावलोकन आदेश को यथावत रखा है । उनका कहना था कि जब तक उप खण्ड अधिकारी सिकराय का आदेश दिनांक 15.9.2011 सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं हो जाता तब तक उसकी अनुपालना में प्रश्नगत नामांतरकरण पर पारित पुनरावलोकन आदेश एवं अपीलाधीन आदेश को विधिक रूप से निरस्त नहीं किया जा सकता । अपीलान्ट्स के यदि विवादित में कोई हक हकूक प्रभावित हो रहे हैं तो उन्हें उप खण्ड अधिकारी सिकराय के उक्त निर्णय दिनांक 15.9.2011 को सक्षम न्यायालय में चुनौती देनी चाहिये । अतः अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्यक होने से यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद पक्षकारों के मध्य विवादित भूमि के गैर खातेदारी से खातेदारी के प्रश्नगत नामांतरकरण में पक्षकारों के मध्य भूमि के हिस्से बंटवारे के संबंध में है । उप खण्ड अधिकारी सिकराय ने निर्णय दिनांक 15.9.2011 द्वारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1956 की शर्त संख्या 09 के तहत प्रार्थियान सरिया पुत्र ग्यारसा, जगन्या, जयनारायण, मोतीबद्री पि. जुगल्या जाति मीना को ग्रम रेटा में आराजी खसर नं.

303/2 रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा पर समान रूप से गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान करने के आदेश पारित कर तहसीलदार सिकराय को अमल दरामद कर पालना से अवगत कराने के निर्देश दिये गये थे । जिनकी अनुपालना में नामांतरकरण संख्या 1122 पटवारी हल्का द्वारा मेवा, कंचन, अर्जुन पि. सरिया, जगन्या, जयनारायण, मोती , बद्री पि. जुगल्या मीना के नाम गैर खातदेारी से खातेदारी का भरा गया जिसे तहसीलदार सिकराय द्वारा दिनांक 30.9.2011 को मेवा , कंचन, अर्जुन पि. सरिया हिस्सा 1/5 व शेष हिस्सा 4/5 के नाम स्वीकार किया गया । इसके बाद तहसीलदर सिकराय, जिला दौसा द्वारा दिनांक 17.10.2011 को नामांतरकरण संख्या 2211 की पुश्त पर पुनरावलोकन आदेश अंकित किया जाकर ना.सं. 1113/5.9.11 (विरासत) एवं श्रीमान् उप खण्ड अधिकारी महोदय के आदेश कमांकः राजस्व/2011/611 दिनांक 15.9.11 के अनुसार ना.सं. 1122 में पारित निर्णय दिनांक 30.9.11 के स्थान पर मेवा, कंचन, अर्जुन पि. सरिया , जगन्या, जयनारायण, मोती, बद्री पि. जुगल्या जाति मीणा का खसरा नम्बर 303/2 रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा पर समान रूप से पूर्व रिकार्ड के अनुसार नामांतरकरण स्वीकार है । रिकार्ड में तद्नुसार खातेदारी का अमल करें । तहसीलदार सिकराय के उक्त पुनरावलोकन नामांतरकरण संख्या 1122 दिनांक 17.10.2011 से व्यथित होकर जगन्या एवं अन्य द्वारा अपील उनबानी जगन्या व अन्य बनाम मेवा व अन्य न्यायालय अति. जिला कलक्टर दौसा के समक्ष प्रस्तुत की , जो अति. जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 5.10.2015 से तहसीलदार सिकराय द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 1122 दिनांक 30.9.2011 को तस्दीक करने से पूर्व पक्षकारान को सुनवाई सबूत का समुचित अवसर दिया जाना चाहिये था, तद्उपरान्त नामांतरकरण तस्दीक की कार्यवाही की जानी चाहिये थी , ऐसा नहीं कर तहसीलदार द्वारा कानूनी भूल किया जाना मानते हुये अपील अपीलान्ट्स स्वीकार किया जाना उचित होने से अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 1122 में तहसीलदार सिकराय द्वारा पारित पुनरावलोकन आदेश दिनांक 17.10.2011 ग्रम रेटा तहसील सिकराय खारिज किया गया तथा प्रकरण तहसीलदार सिकराय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि पक्षकारान को सुनवाई सबूत का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें । अति. जिला कलक्टर दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 5.10.2015 की अनुपालना में तहसीलदार सिकराय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.7.2018 से अपीलान्ट्स को बार बार समय दिये जाने के उपरान्त भी उनकी ओर बहस व साक्ष्य हेतु कोई उपस्थित नहीं होने से प्रतिपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनकर उप खण्ड अधिकारी सिकराय के आदेश दिनाक 13.9.2011 में गैर खातेदारी से खातेदारी बाबत आदेशित किये जाने, सम्भाग के लिये न्यायालय द्वारा यह आदेशित नहीं किया जाना कि किस व्यक्ति का कितना हिस्सा दर्ज करना है और ना ही यह गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज करने का विषय है कि खातेदारी के नामांतरकरण में हिस्सा शुद्ध किया जावे । इस बांबत सक्षम न्यायालय से स्पष्ट आदेश होने चाहिये और हिस्सा दुरूस्ती हेतु अलग से वाद सक्षम न्यायालय में दर्ज कर आदेश देने

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

चाहिऐ । नामांतरकरण पर दर्ज पुरावलोकन आदेश दिनांक 17.10.2011 ही है जिसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है । नामांतरकरण गैर खातेदारी से खातेदारी स्वीकार किया जाना उचित माना है एवं राजस्व रिकार्ड में हिस्से दर्ज करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करने के आदेश पारित किये हैं ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि प्रश्नगत नामांतरकरण गैर खातेदारी से खातेदारी का उप खण्ड अधिकारी सिकराय के निर्णय की अनुपालना में भरा गया था, लेकिन तहसीलदार ने तस्दीक करते समय खातेदारों के विवादित भूमि में हिस्से भी अंकित कर दिये एवं बाद में पुनरावलोकन आदेश दिनांक 17.10.2011 नामांतरकरण की पुश्त पर अंकित किया कि – ना.सं. 1113/5.9.11 (विसासत) एवं श्रीमान् उप खण्ड अधिकारी महोदय के आदेश कमांकः राजस्व/2011/611 दिनांक 15.9.11 के अनुसार ना.सं. 1122 में पारित निर्णय दिनांक 30.9.11 के स्थान पर मेवा, कंचन, अर्जुन पि. सरिया , जगन्या, जयनारायण, मोती, बद्री पि. जुगल्या जाति मीणा का खसरा नम्बर 303/2 रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा पर समान रूप से पूर्व रिकार्ड के अनुसार नामांतरकरण स्वीकार है । रिकार्ड में तद्नुसार खातेदारी का अमल करें । इस पुनरावलोकन आदेश के खिलाफ अपील में न्यायालय अति. जिला कलक्टर दौसा से प्रकरण तहसीलदार सिकराय को पुनः निर्णय हेतु रिमाण्ड होने पर तहसीलदार ने अपीलाधीन आदेश पारित कर पुनरावलोकन आदेश दिनांक 17.10.2011 में किसी प्रकरण के संशोधन की आवश्यकता नहीं होना मानते हुये राजस्व रेकार्ड में हिस्से दर्ज करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करने के निर्देश दिये हैं । प्रकरण में अपीलान्ट्स की मुख्य आपत्ति है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय ने अपीलान्ट्स को बिना सुने व अपीलान्ट्स की अनुपस्थिति में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया है जबकि विधिक रूप से प्रकरण अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज करना चाहिये था । इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय का अभिमत था उनके समक्ष अपीलान्ट्स के अधिवक्ता अधिकतर तारीख पेशियों पर उपस्थित रहे हैं, लेकिन दौराने बहस बार बार आबाज लगवाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुये । ऐसी स्थिति में अपीलान्ट्स की आपत्ति निराधार है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को नोटिस जारी कर सुनबाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करने के बाद ही अपीलाधीन आदेश पारित कर नामांतरकरण पर दर्ज पुनरावलोकन आदेश दिनांक 17.10.2011 में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं होने से नामांतरकरण गैर खातेदारी से खातेदारी स्वीकार किया जाना उचित मानते हुये राजस्व रिकार्ड में हिस्से दर्ज करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करने के निर्देश दिये हैं । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि तस्दीक प्रश्नगत नामांतरकरण एवं नामांतरकरण पर पुनरावलोकन आदेश उप खण्ड अधिकारी सिकराय के निर्णय दिनांक 15.9.2011 के आधार पर गैर खातेदारी से खातेदारी के पारित किये हैं , जिन्हें विधिक रूप से तब तक निरस्त नहीं किया

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

जा सकता जब तक उप खण्ड अधिकारी का निर्णय सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं हो जाता । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश तहसीलदार सिकराय जिला दौसा दिनांक 25.7.2018 उचित एवं विधिसम्यक है तथा इसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होने से अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय आज दिनांक 11.6.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)

अति. सम्भागीय आयुक्त

जयपुर